

रा.स.स.प. 2021-09,000-11

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य(ग्रुप-2)विभाग

बजट कार. की संख्या 4

क्रमांक: 017(14)चिस्वा/2/09

जयपुर, दिनांक: 24/11/11

निदेश # (जन सेवा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज(जयपुर)।

विषय:- अग्रिम आहरण की स्वीकृति।

माहोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि बजट शीर्ष 4210-01-796-(02) [01] 28-विनिर्ध व्यय (आयोजना) में राशि ₹0 225.00 लाख (अक्षरे रूपये दो करोड पच्चीस लाख मात्र) व अतिरिक्त प्रावधान स्वीकृत कर राजस्थान मेडीकेयर रिलीफ सोसायटीज को स्थानान्तरित करने हेतु अग्रिम रूप से आहरित करने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है।

- (1) उक्त स्वीकृति राशि का उपयोग नवीन 100 डी.डी.सी. (प्रति डी.डी.सी. ₹0 2.25 लाख की दर से) निर्मित करने हेतु ही किया जा सकेगा।
- (2) उक्त स्वीकृत अग्रिम राशि का समायोजन सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत निर्धारित समयवधि में कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- (3) उक्त स्वीकृत अतिरिक्त प्रावधान का समायोजन अनुपूरक अनुदान मांग/संशोधित अनुमान वर्ष 2011-12 में यथासमय कराया जाना सुनिश्चित करावे।

3-11-11 (3)
Act (3)

26/11/11

उक्त स्वीकृति वित्त(व्यय-1)विभाग की आई.डी.संख्या 101102908 दिनांक 25.01.11 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,

(सुनील कुमार शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रति: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

- 1-निदेशी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 2-निर्माण निदेशक (एनआरएचएम), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज(जयपुर)।
- 3-निर्वाही लेखा परीक्षा अधिकारी, शासन सचिवालय, राज(जयपुर)।
- 4-शासन उप सचिव, वित्त(व्यय-1/बजट/आयोजना) विभाग, राज(जयपुर)।
- 5-वित्तीय सहायकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज(जयपुर)।
- 6-प्रशासक, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
- 7-ए.एल. पत्रागली
- 8-राज(जयपुर) पत्रागली।

लेखाधिकारी